राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(1)कार्मिक/क–2/17 पार्ट जयपुर, दिनांकः 29.08.2018

1 समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

आदेश

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटो और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 राज्य में दिनांक 20.12.2017 से प्रभावी किया गया। जिसके प्रावधानान्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग को शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में 01 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

इस क्रम में कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 29.01.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा पूर्व में जारी परिपत्रादेश क्रमांक पं. 15(24)कार्मिक/क–2/75 दिनांक 07.08.2007 के साथ संलग्न उपाबन्ध II में लम्बवत आरक्षण (vertical reservation) हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु संख्या 97, जो अनारक्षित है, को अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।

अतः सभी संबंधित नियुक्ति अधिकारियों/प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उक्त आदेश की कठोरता से अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–यथोपरि।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माo मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव/सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ शासन उप सचिव/शासन उप सचिव, सचिवालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

29/8/2018
संयुक्त शासन सचिव

55/2018

D:/Vishnu/Circular/2017

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक– प0 7(1)कार्मिक / क–2 / 17 जयपुर, दिनांक 29 JAN 2018

आदेश

राज्य में, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 38) (संक्षेप में "अधिनियम, 2017") दिनांक 20.12.2017 से प्रभावी किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के प्रावधानान्तर्गत कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं दिनांक 21.12.2017 के माध्यम से पिछड़ा वर्ग (BC) में अति पिछड़ा वर्ग (MBC) को शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में 01 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

कतिपय विभागों द्वारा उक्त अधिनियम के तहत जारी उपर्युक्त अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन में आ रही रोस्टर बिन्दु एवं आरक्षण की गणना संबंधी कठिनाईयों की ओर कार्मिक विभाग का ध्यान आकृष्ट किया गया है। अतः इन कठिनाईयों के निराकरण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अति पिछड़ा वर्ग (MBC) को उक्तानुसार आरक्षण प्रदान करते हेतु कार्मिक विभाग के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्रादेश क्रमांक प. 15(24)कार्मिक / क–2 / 75 दिनांक 07.08.07 के साथ संलग्न उपाबन्ध II में लम्बवत् आरक्षण (**vertical reservation**) हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु संख्या 97, जो अनारक्षित (UR) है, को अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिए आरक्षित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(भास्कर ए. सावत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राज. जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव।
7. समस्त विभागाध्यक्ष / संभागीय आयुक्त सह जिला कलेक्टर्स।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव